प्र०सं० 37/25 — GCMS-2025/65

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
07.04.2025	पत्रावली प्रार्थीया/वादी उमा देवी जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9, 12 एवं धारा 151 सीपीसी दिनांक 07.11.2024 प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत थी। दिनांक 18.10.2024 को पत्रावली अधिवक्ता वादी/प्रार्थी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में साक्ष्य वादी बन्द की जाकर खारिज की गयी। वादी द्वारा अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीया वृद्ध महिला है जो जरिए अधिवक्ता उपस्थित होती रही है। वादीया द्वारा शपथ पत्र साक्ष्य हेतु पेश भी किया जा चुका था। अधिवक्ता की उपस्थिति देरीना रहने के कारण वाद खारिज किया गया है, यदि उक्त आदेश अपास्त नहीं किया जाता है तो वादी को नुकसान होगा। आदेश दिनांक 18.10.2024 को अपास्त कर दावा उसी स्तर पर पुनः स्थापित करने के लिए निवेदन किया है। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि प्रकरण में शपथ पत्र वादी पेश हो चुका है, पत्रावली जिरह हेतु विचाराधीन थी। वादी प्रकरण चलाना चाहती है तथा प्रार्थना पत्र भी अन्दर मियाद पेश कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार वादीया को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। अतः 500/— रूपये की कोस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण के पुनः उसी नम्बर पर पुनर्स्थापना के आदेश दिए जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी/जिरह प्रतिवादी दिनांक 01.05.2025 को पेश हो। अधिवक्ता वादी को हिदायत दी जाती है कि वे आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करें। उभयपक्ष अधिवक्तागण को सूचित किया जावे। पत्रावली दिनांक 01.05.2025 को पेश हो। शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:28:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner